

29-1-25

पत्रावली आज वाही/वाही बरील ते निकेडक
पर पेश हुयी। उक्त प्रकरण में मूल दावा
नोट-प्रेस में खारिज किया जा चुका है। इस विषय
आ. पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रहा
है अतः आ. पत्र 212 RTA को नोट-प्रेस में
खारिज किया जाता है पत्रावली क्रमांक
सुमार होकर दाखिल स्थान हो।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

Anulki

ID:
Mehul Jain
Adv
29-01-2025